के-15017/01/2015-एससी-1

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 8 सितम्बर, 2015

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय) ,
शहरी विकास मंत्रालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली।

विषयः स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) दिशा निर्देशों के तहत दीव के संबंध में स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपी) तैयार करने के लिए दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए अग्रिम के रूप में 2,00,00,000/- रूपए जारी करना।

महोदय,

इस मंत्रालय के 1 सितंबर, 2015 के समसंख्यक स्वीकृति पत्र (छायाप्रति संलग्न) के अधिक्रमण में, जिसके द्वारा पांच संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रिम के रूप में 10,00,00,000/- रूपए जारी किए गए थे, मुझे एससीएम के दिशा-निर्देशों के पैरा 12.1 के अनुरूप स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपी) तैयार करने हेतु प्रशासनिक एवं कार्यालयी व्यय के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से के रूप में दीव के संबंध में दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए अग्रिम के रूप में 2,00,00,000/- रूपए (दो करोड़ रुपये केवल) जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की सूचना संप्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. अग्रिम की राशि शहरों की प्रशासनिक एवं कार्यालयी व्यय के लिए निधियों से आएगी और इसका समायोजन पहली किस्त जारी करने के समय से शहर के हिस्से में किया जाएगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति निम्निलखित शर्तों के अध्यधीन है:

i. यह स्वीकृति सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005/एससीएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होगी।

ii. दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र, एससीएम के संबंध में एक अलग खाता बनाकर रखेगा।

जारी...

iii. निधि का उपयोग, उसी प्रयोजनार्थ किया जाएगा, जिसके लिए इसकी स्वीकृति दी गई है।

iv. दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र, जारी की गई निधियों के संबंध में एससीएम के दिशा-निर्देशों यथा प्रदत्त विनिर्दिष्ट प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र प्रस्तुत करेगा।

4. यह एससीएम दिशा-निर्देशों के तहत दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र को पहली रिलीज है। चूंकि, अपेक्षा के अनुसार, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित नहीं है।

5. इसमें शामिल व्यय मुख्य शीर्ष 2217- शहरी विकास, 05- शहरी विकास की अन्य योजनाएं, 191- नगर निगम को सहायता, 15- 100 स्मार्ट सिटीज के लिए मिशन, 15.00.31- अनुदान सं. के तहत सामान्य अनुदान सहायता, 104- वर्ष 2015-16 (आयोजना) के लिए शहरी विकास मंत्रालय के नामे डाला जाएगा।

6. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा दिनांक 22.02.1977 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ-II (45/76/एससी) के जरिये निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार 2,00,00,000/- रूपए (दो करोड़ रुपये केवल) की राशि भारतीय रिजर्व बैंक के जरिये दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र को अंतरित की जाए।

7. इसे एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति से उनकी दिनांक 28.08.2015 के डायरी सं. 1012/यूएस (डी- II)/एफडी/15 के जरिए जारी किया गया है।

8. यह स्वीकृति वर्ष 2015-16 के लिए स्मार्ट सिटीज प्रभाग (एससी-I) के स्वीकृति रजिस्टर में क्रमांक 2 पर पंजीकृत है।

9. अन्य चार संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अंडमान एवं निकोबार, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप के संबंध में रिलीज आदेश वित्त मंत्रालय के दिनांक 31.01.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(8)(1)/टीए/2010/31 के अनुरूप अलग से जारी किए जाएंगे।

भवदीय

(संजय शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.-23062742

जारी...

प्रतिलिपिः-

i) प्रशासक, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र। अग्रिम का उपयोग, उसी प्रयोजनार्थ किया जाएगा, जिसके लिए इसकी स्वीकृति दी गई है।

ii) प्रमुख सचिव (शहरी विकास), दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र

iii) नगर आयुक्त, दीव।

iv) महालेखाकार, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र

v) प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, आर्थिक और सेवा मंत्रालय, एजीसीआर बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

vi) डीडीओ, शहरी विकास मंत्रालय, अनुभाग अधिकारी (प्रशासन II) निर्माण भवन, नई दिल्ली

vii) वित्त प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

viii) बजट अनुभाग, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

ix) गार्ड फाइल/स्वीकृत फोल्डर

x) तकनीकी प्रकोष्ठ, इस स्वीकृति को स्मार्ट सिटी मिशन की वेबसाइट पर डालने के लिए

(संजय शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार